प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 06.11.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी 04 वर्ष 06 माह का कारावास की सजा व दिया गया 2,000/- रु0 अर्थदण्ड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 04 वर्ष 06 माह का कारावास की सजा व 2,000 रु0/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 29.08.17 को वादिनी सचिन कुमार पुत्र श्यामनारायन निवासी यशोदा नगर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा ने अज्ञात चोरों द्वारा वादी की दुकान से कम्पयुटर, प्रिंटर,कैमरा व पंखा इत्यादि चोरी कर लेने के संबंध मे थाना फ्रेंडस कॉलोनी पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर **थाना फ्रेंड्स कॉलोनी** पर **मु0अ0सं0-552/17 धारा 457/380 भादवि बढोत्तरी धारा 411 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस टीम, पैरोकार का0 तरुण प्रताप सिंह एवं मानीटरिंग सैल व एपीओ श्री आशुतोष द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 06.11.24 को अन्तर्गत 457/380 भादवि में मा0 न्यायालय सीजेएम , इटावा द्वारा 04 वर्ष 06 माह के कारावास व 2,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **प्रद्युम्न गुप्ता पुत्र वेदप्रकाश निवासी श्यामनगर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा।**